केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
स्वायत संस्थान
संभागीय कार्यालय, कोलकाता
ई॰बी॰ ब्लॉक, सैक्टर-1, लाबोनी, साल्ट लेक,
कोलकाता – 700064

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India
Regional Office, Kolkata, EB Block, Sector-I, Laboni, Salt Lake, Kolkata-700064
Ph : 033 23376998 (DC) / 23219490 (ACs)
Email : kvskolkata64@gmail.com
acadrokolkota@gmail.com
Web: https://rokolkata.kvs.gov.in/

फ़ा. सं.25331(2)/2026-27/क्षे.का.(कोल)/ शैक्षिक/14381-394 दिनांक: 10.06.2026

प्राचार्य/Principal
समस्त केन्द्रीय विद्यालय/All Kendriya Vidyalayas
कोलकाता संभाग/Kolkata Region

विषय: सत्र 2026-27 हेतु स्थानीय स्थानांतरण हेतु आवेदन के संबंध में/ Local Transfers 2026-27 reg.
संदर्भ: Guidelines for Admissions in Kendriya Vidyalayas (2026-27 & onwards), Part-A, Para-7(B).

महोदया/महोदय,

के.वि.सं. प्रवेश मार्गदर्शिका- 2026-27 के भाग-A, खंड-7(B) में यह स्पष्ट किया गया है कि उपायुक्त, केविसं द्वारा विशेष मामलों में स्थानीय स्थानांतरण के लिए मंजूरी दी जा सकती है। उक्त विषय पर निम्नोक्त बिन्दुयों पर ध्यान देना अनिवार्य है।

A. विद्यालय सूचना पट्ट व वैबसाइट पर स्थानीय स्थानांतरण हेतु सूचना प्रदान करने कि तिथि/Date of Notice of local transfers on KV Notice Board & Website: **22.07.2026.**

B. अभिभावक द्वारा वर्तमान विद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की तीन प्रति जमा करने की अंतिम तिथि/Last Date for submission of application for local transfer by the parents in triplicate along with all supporting documents : **01.08.2026.**

C. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय (जहां विद्यार्थी अभी अध्ययनरत है) द्वारा आवेदन की दो प्रति संबन्धित प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय (जहां अभिभावक विद्यार्थी का स्थानांतरण चाहते हैं) को भेजने की अंतिम तिथि/Last Date of submission of applications (in duplicate) by the Principal(Present KV) to the Principal (Destination KV): **05.08.2026.**

D. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय (जहां अभिभावक विद्यार्थी का स्थानांतरण चाहते हैं) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन की एक प्रति (अनुशंसा के साथ) भेजने की अंतिम तिथि/Last date for submission of one copy of the Local Transfer Form by the Principal of the KV (where local transfer is sought) to the Regional Office in one bunch with her/his remarks i.e., Recommended/Not Recommended through a special messenger: **11.08.2026.**

नोट /Note:

1. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई बिचार नहीं किया जा सकता है/Note: Late submission of forms will not be entertained at the Regional Office.
2. उपयुक्त मार्ग के अलावा अभिभावक द्वारा प्रेषित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा/Applications sent directly by the parents will not be entertained in any case.

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है। /This issues with the approval of the Competent Authority.

भवदीय/Yours faithfully

दिवाकर

(दिवाकर भोइ/Dibakara Bhoi)
सहायक आयुक्त/Assistant Commissioner

संलग्नक/Attachments: निर्धारित प्रारूप/ Designated Formats